स्कूलों के कार्यकलाप सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

दिल्ली में, ये स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा जब कभी भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं तो इस अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों को लागू करके स्कूल के प्रबन्धक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। दिल्ली प्रशासन के पास इस समय लगभग 25 शिकायतें लम्बित पड़ी हैं जिनकी जांच की जा रही है और कार्रवाई के लिए निर्णय जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करता है।

(घ) जी, नहीं।

प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा

2865. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूल खोलने के वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान मानदंडों के अनुसार, आदिवासी और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोले जाने की अनुमति अब दे दी गई है;

(घ) चालू सत्र में मध्य प्रदेश में नए प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि सार्वभौमिक साक्षरता के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने उक्त मानदंडों की समीक्षा किए बिना एक वैकल्पिक योजना तैयार कर ली है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजना में यह परिकल्पना है कि सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों (जनजातीय/पर्वतीय/रेगिस्तानी इलाकों के मामले में 200 की जनसंख्या वाली बस्तियों) में पदल चलने की एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की जाए। तदनुसार, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से शिक्षा के लिए सार्वजनिक पहुंच की व्यवस्था करने के लिए नए स्कूल खोलने का अनुरोध किया गया है। इस मानदण्ड के अलावा नए प्राइमरी स्कूलों का खोलना मांग और स्रोतों की उपलब्धता से अधिशासित होता है। नए स्कूलों का खोलना हमेशा ही एक सतत प्रक्रिया होगी क्योंकि आवश्यकता जनसंख्या की वृद्धि, नई-नई बस्तियों की स्थापना आदि से परिवर्तित होती रहेगी। प्राईमरी स्कूलों के खोलने का प्रावधान राज्य योजनाओं में किया जाता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में गैर-औपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों द्वारा 11 वर्ष की आयु तक पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा अथवा इसके समकक्ष की शिक्षा को पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना को शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों-असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और काश्मीर, पश्चिम बंगाल,

बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों को तथा उन बच्चों को जो पूरे दिन स्कूलों में नहीं जा सकते औपचारिक पद्धति के तुलनीय कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में छठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। इस योजना का अरुणाचल प्रदेश तथा अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कामकाज करने वाले बहुत बच्चों वाले क्षेत्रों तथा शहरी गन्दी बस्तियों, पर्वतीय, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार तथा पुनर्गठन किया गया।

राज्य सरकारों को सह शिक्षा और लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए क्रमशः 50:50 और 90:10 के अनुपात में इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है; स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में स्वायत्तशासी कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवंटित की गई धनराशि

2866. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वायत्तशासी कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिव शंकर): उत्तर प्रदेश के किसी कालेज को अभी तक स्वायत्त स्तर प्रदान नहीं किया गया है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियों के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य

2867. **श्री राम जेठमलानी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धन लेने के लिए योजना आयोग से मंजूरी ले ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए सरकार का किन-किन स्रोतों से धन लेने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिवशंकर): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किया जाना

2868. **श्री अजीत जोगी:**
ठाकुर जगतपाल सिंह:

क्या जल-यूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें चार-लेन वाले राजमार्गों में बदलने का कार्य हाथ में लिया गया है;

(ख) उस कार्य के लिए पिछले तीन वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित